



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612085/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक:एफ37(3)/नि.आ./बीपीसी(बी.पी.)/का.वि./2021/1562.

दिनांक:- 08/12/2021

—:कार्यवाही विवरण:—

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की बैठक दिनांक 26.11.2021 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 06/2021 वीं बैठक दिनांक 10.03.2021 के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

1.	पूर्व	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 438/5, 438/6, 438/7 (NEW KHASRA NO. 438/8, 438/9 & 438/10) के हॉस्पिटल प्रयोजनार्थ भूखण्ड पर भवन निर्माण स्वीकृति बाबत आवेदक:- M/S SATISH KUNTI GOYAL MEDICAL FOUNDATION PRIVATE LIMITED JARIYE DIRECTOR MRS. SUBHASHINI GOYAL भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की बैठक दिनांक 26.11.2021	समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली एवं एजेण्डा नोट का अवलोकन किया गया तथा बाद विचार विमर्श प्रकरण को निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया - 1. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 21.01.2020 के क्रम में नियमानुसार फायर सेस जमा करवाया जावे एवं भवन विनियम अनुसार निर्धारित देय शुल्क जमा करवाया जावे। 2. प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 15 मी. से अधिक है, अतः पूर्णता/अधिवास प्रमाण पत्र जारी करते सम स्थाई अग्निसुरक्षा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रार्थी से शपथ पत्र लिया जावे। 3. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र प्राप्त किया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 12.1.15 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 4. प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 15 मी. से अधिक है, अतः विनियम के प्रावधानानुसार CERTIFICATE OF UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF THE PROVISION OF N.B.C. PART - VI FOR EARTHQUAKE SAFETY लिया जावे। 5. राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 के अनुसार विनियम 10.11 में उल्लेखित पर्यावरण संरक्षण के नियमों की पालना करनी होगी। 6. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा जमा करवाया जावे।
2.	पूर्व	ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 209/2, 215/1, 215/2, 216/1 व 237/1 के आवासीय प्रयोजनार्थ (मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधान-3ए के अन्तर्गत) भवन निर्माण स्वीकृती बाबत।	समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली एवं एजेण्डा नोट का अवलोकन किया गया तथा बाद विचार विमर्श प्रकरण को निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया - 1. गत बैठक दिनांक 18.12.2018 में लिये गये निर्णय के क्रम में आवेदक द्वारा पर्यावरण अनापत्ति पत्र जारी दिनांक 21.12.2017 प्रस्तुत किया गया है

—

		आवेदक:- मैसर्स अमर आदेश्वर ईन्फ्रास्ट्रक्चर जरिये अधिकृत प्रतिनिधी श्री मनीष गोयल भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की बैठक दिनांक 26.11.2021	जिसमें भूखण्ड का क्षेत्रफल 27310.15 वर्गमीटर अंकित है। अतः सम्पूर्ण क्षेत्रफल 42286.59 वर्गमीटर हेतु पर्यावरण अनापत्ति अपेक्षित है। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है कि शेष भूमि के लिये पर्यावरण विभाग की अनापत्ति पत्र प्रस्तुत करेंगे। एवम् शेष भूमि पर पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण प्रारम्भ करेंगे। अतः उक्त की सुनिश्चितता आयोजना शाखा द्वारा की जावे। - गत बैठक दिनांक 18.12.2018 में लिये गये निर्णय के क्रम अग्निशमन प्रमाण पत्र के संबंध में आवेदक द्वारा नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 27.08.2017 का उल्लेख करते हुए शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि पूर्णता प्रमाण पत्र कम्प्लीकेशन सर्टीफिकेट प्राप्त करने से पूर्व अग्निशमन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जावेगा। करेंगे। अतः उक्त की सुनिश्चितता आयोजना शाखा द्वारा की जावे। - प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। - राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.08.2020 अनुसार प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर लिया जमा करवाया जावे। - आवेदक द्वारा भवन मानचित्र में प्रस्तावित व्यवसायिक क्षेत्र हेतु नियमानुसार राशि ली जावे। मानक बी.ए.आर से अधिक बी.ए.आर पर नियमानुसार बेटमेंट लेवी ली जावे, एवम् भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत लेय समस्त शुल्क एवम् अमानत राशि जमा करवायी जावे। - आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में 55 मीटर उचाई प्रस्तावित की गई है जबकि राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 26.11.2020 में "No new high building with the height of more then 32 meters should be allowed to come up in any of the cities till Aerial Hydraulic Ladder Platform equality to or more then the height of the proposed building a ladder in Municipality of the Concerned City" का उल्लेख है। अतः उक्त परिपत्र अनुसार Aerial Hydraulic Ladder Platform की उचाई बाबत जानकारी जोधपुर नगर निगम से सूचना प्राप्त की जावे। - उपरोक्त के संबंध में आवेदक द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान में नगर निगम जोधपुर में 40 मीटर लिफ्ट उपलब्ध है यदि भविष्य में नगर निगम जोधपुर के पास 55 मीटर या उससे
--	--	---	--

			अधिक उचाई की अग्निशमन लिफ्ट उपलब्ध नहीं होती है तो मैसर्स अमर आदेश्वर इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पलीशन सर्टीफिकेट से पहले निजी स्तर पर 60 मीटर तक की लिफ्ट उपलब्ध करवाकर देगा। अतः कम्पलीशन सर्टीफिकेट के समय उक्त की सुनिश्चितता आयोजना शाखा द्वारा की जावे। 8. प्रस्तावित भवन की उचाई 40 मीटर से अधिक है अतः भवनों के मानचित्र का अनुमोदन राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे। 9. प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई वाद विवाद नहीं है ना ही किसी न्यायालय का स्थगन है। आवेदित भूमि से सम्बंधित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। 10. राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 के अनुसार विनियम 10.11 में उल्लेखित पर्यावरण संरक्षण के नियमों की पालना करनी होगी। 11. उक्त भवन निर्माण स्वीकृति माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल रिट पीटीशन संख्या 5926/2020 में पारित निर्णय के अध्याधीन रहेगी एवं इस बाबत आवेदक की स्वीकृति प्राप्त की जावे।
3.	पूर्व	राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 584/MIN के शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भूखण्ड पर भवन निर्माण स्वीकृति बाबत। आवेदक:- JITENDRA GODARA SLBS EDUCATION FOUNDATION JARIYE DIRECTOR MRS PRIYANKA GODARA भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की बैठक दिनांक 26.11.2021	समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली एवं एजेण्डा नोट का अवलोकन किया गया तथा बाद विचार विमर्श प्रकरण को निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया - - राज्य सरकार के आदेश दिनांक 21.01.2020 के क्रम में नियमानुसार फायर सेस जमा करवाया जावे एवं भवन विनियम अनुसार निर्धारित देय शुल्क जमा करवाया जावे। - प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अप्रडरटेकिंग व शपथ पत्र प्राप्त किया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 12.1.15 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। - राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 के अनुसार विनियम 10.11 में उल्लेखित पर्यावरण संरक्षण के नियमों की पालना करनी होगी। - प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा जमा करवायी जावे।
जोन-पश्चिम			

54

1.	पश्चिम	ग्राम चौखा के खसरा संख्या 827/650 के मुख्यमंत्री जन आवास योजना भूखण्ड मे विकासकर्ता की भूमि 25 प्रतिशत पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधान-3ए के अन्तर्गत भवन निर्माण स्वीकृती बाबत। आवेदक:- VADERA TRADELINK PRIVATE LIMITED जरिये अधिकृत प्रतिनिधी श्री गौतम जैन भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की बैठक दिनांक 26.11.2021	समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली एवं एजेण्डा नोट का अवलोकन किया गया तथा बाद विचार विमर्श प्रकरण को निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया - 1. प्लिंथ की उँचाई अनुज्ञेय उँचाई से कम 0.15 प्रस्तावित हैं, सीढ़ीओं की चौड़ाई अनुज्ञेय से कम 1.0 मीटर प्रस्तावित हैं, अतः संशोधित मानचित्र प्राप्त किये जावे। 2. भवन विनियम 2020 अनुसार भूखण्ड पर ग्रीन क्षेत्र 15 प्रतिशत का प्रावधान करना आवश्यक हैं अतः अपेक्षित ग्रीन का प्रावधान करते हुए संशोधित मानचित्र प्राप्त किये जावे। 3. स्टिल्ट तल पर कुल निर्मित क्षेत्रफल का न्यूनतम 2 प्रतिशत अथवा 1500 वर्गमीटर जो भी कम हो सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे। 4. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र प्राप्त किया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 12.1.15 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 5. राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 के अनुसार विनियम 10.11 में उल्लेखित पर्यावरण संरक्षण के नियमों की पालना करनी होगी। 6. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.08.2020 अनुसार प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर जमा करवाया जावे। 7. भवन की STRUCTURAL SAFETY के संबंध में एन.बी. सी पार्ट 6 के प्रावधान की सुनिश्चितता हेतु शपथ-पत्र प्राप्त किया जावे। 8. आवेदक द्वारा भवन मानचित्र में प्रस्तावित व्यवसायिक क्षेत्र हेतु नियमानुसार राशि ली जावे। मानक बी.ए.आर से अधिक बी.ए.आर पर नियमानुसार बेटमेंट लेवी ली जावे एवम् भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत लेय समस्त शुल्क एवम् अमानत राशि जमा करवायी जावे। 9. प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई वाद विवाद नहीं है ना ही किसी न्यायालय का स्थगन है। आवेदित भूमि से सम्बंधित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
2.	पश्चिम	प्राधिकरण की आवासीय योजना रामराज नगर के ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड क्षेत्रफल 20235.88 वर्गमीटर पर संशोधित	समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली एवं एजेण्डा नोट का अवलोकन किया गया तथा बाद विचार विमर्श प्रकरण को निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया -

→

		आवेदक:- मै रॉयल बिल्ड स्क्वायर प्रा. लि. जरीये आ.मु. श्री अभिषेक पाल सिंह भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की बैठक दिनांक 26.11.2021	1. अग्निशमन प्रमाण पत्र के संबंध में नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 27.08.2017 के तहत पूर्णता प्रमाण पत्र कम्पलीकेशन सर्टीफिकेट प्राप्त करने से पूर्व अग्निशमन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 2. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र प्राप्त किया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.08.2020 अनुसार प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर लिया जामा करवाया जावे। 4. राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 के अनुसार विनियम 10.11 में उल्लेखित पर्यावरण संरक्षण के नियमों की पालना करनी होगी। 5. भवन की STRUCTURAL SAFETY लय के संबंध में एन.बी.सी पार्ट 6 के प्रावधान की सुनिश्चितता हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जावे। 6. आवेदक द्वारा भवन मानचित्र में प्रस्तावित व्यवसायिक क्षेत्र हेतु नियमानुसार राशि ली जावे। मानक एफ.ए.आर से अधिक एफ.ए.आर पर नियमानुसार बेटमेंट लेवी ली जावे एवम् भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत लेय समस्त शुल्क एवम् अमानत राशि जमा करवाया जावे। 7. आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में 45 मीटर उँचाई प्रस्तावित की गई है जबकि राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 26.11.2020 में "No new high building with the height of more then 32 meters should be allowed to come up in any of the cities till Aerial Hydraulic Ladder Platform equivalency to or more then the height of the proposed building a ladder in Municipality of the Concerned City" का उल्लेख है। अतः उक्त परिपत्र अनुसार Aerial Hydraulic Ladder Platform की उँचाई बाबत जानकारी जोधपुर नगर निगम से सूचना प्राप्त की जावे। 8. प्रस्तावित उँचाई 40 मीटर से अधिक हेतु भवन विनियम के प्रावधानानुसार न्यूनतम सैटबैक का प्रावधान करते हुए संशाधित मानचित्र प्राप्त किये जावे। 9. प्रस्तावित भवन की उँचाई 40 मीटर से अधिक है अतः भवनों के मानचित्र का अनुमोदन राज्य सरकार की स्वीकृति उपरान्त अनुज्ञय होगा। 10. प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जाना अपेक्षित है कि प्रश्नगत भूमि पर कोई वाद विवाद
--	--	---	---

7

			नहीं है ना ही किसी न्यायालय का स्थगन है। आवेदित भूमि से सम्बंधित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
3.	पश्चिम	ग्राम चौखा के खसरा संख्या 667 , 668, 670, 671, 673 से 677 के आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) प्रयोजनार्थ भूखण्ड के उपविभाजित भूखण्ड क्षेत्रफल 26000 वर्गमीटर पर भवन निर्माण स्वीकृती बाबत। आवेदक:- मैसर्स आदिनाथ बिल्डवेल प्रा. लि. जरिये श्री पीयूष डोसी भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की बैठक दिनांक 26.11.2021	समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली एवं एजेण्डा नोट का अवलोकन किया गया तथा बाद विचार विमर्श प्रकरण को निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया – 1. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 21.01.2020 के क्रम में नियमानुसार फायर सेस जमा करवाया जावे एवं भवन विनियम अनुसार निर्धारित देय शुल्क जमा करवाया जावे। 2. प्रस्तावित भवन कि ऊचाई 15 मी. से अधिक है, अतः पुर्णता/अधिवास प्रमाण पत्र जारी करते सम स्थाई अग्निसुरक्षा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रार्थी से शपथ पत्र लिया जावे। 3. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अप्ण्डरटेकिंग व शपथ पत्र प्राप्त किया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 12.1.15 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 4. प्रस्तावित भवन कि ऊचाई 15 मी. से अधिक है, अतः विनियम के प्रावधानानुसार CERTIFICATE OF UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF THE PROVISION OF N.B.C. PART – VI FOR EARTHQUAKE SAFETY लिया जावे। 5. राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 के अनुसार विनियम 10.11 में उल्लेखित पर्यावरण संरक्षण के नियमों की पालना करनी होगी। 6. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा जमा करवाया जावे। 7. उक्त भवन निर्माण स्वीकृति माननीय उच्च न्यायलय जोधपुर वाद संख्या SBCWP 5163/2016 तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर में वाद संख्या 39/2019 के निर्णय के अध्यक्षीन रहेगी। 8. मैसर्स अरिहन्त सुपरस्ट्रक्चर पर प्राधिकरण द्वारा आरोपित शास्ती के क्रम में उपायुक्त पश्चिम की टिप्पणी/सहमति प्राप्त कर ही भवन निर्माण स्वीकृति जारी की जावे।
4.		सामान्य निर्णय	राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 के विनियम 8.1 (छ) अनुसार हवाई अड्डे की सीमा से 2 कि.मी की दूरी तक अथवा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कलर कोडेड जोनिंग मैप (cczm) के अनुसार प्रस्तावित भवन की उचाई के संबंध में नागरिक उड्डयन विभाग/भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का उल्लेख है। जोधपुर एयरपोर्ट भारतीय वायुसेना के नियंत्रण में है। जोधपुर एयरपोर्ट की एक कि.मी

—

		सीमा में भवन अनुमति बाबत रक्षा मंत्रालय की अनुमति बाबत भी उल्लेख है। कलर कोडेड जोनिंग मैप (cczm) के अनुसार लाल कलर कोड में अवस्थित क्षेत्र में समस्त ऊँचाई के भवनों हेतु नागरिक उड्डयन विभाग/भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। छोटे भूखण्ड मालिक जिनका भूखण्ड लाल क्षेत्र में अवस्थित है उन्हें अनापत्ति प्राप्त करने में कठिनाई होती है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में cczm के लाल कलर कोड जोन में इन्डिया बुल्स मॉल, मेरियट हॉटल, ऑयल इण्डिया भवन, अमर आदेश्वर, अफोर्डबल हाउसिंग आदि कई बहुमंजिला भवन निर्मित हैं जिसकी औसत ऊँचाई 15 मीटर (जी+4) हैं एवं साथ ही पूर्व में वायुसेना से कई बहुमंजिला भवनों में अनापत्तियाँ भी दी हुई हैं। अतः उपरोक्त के क्रम में जोधपुर एयरपोर्ट की एक कि.मी सीमा को छोड़कर cczm के लाल/नीले/गुलाबी कलर कोड जोन में अवस्थित भूखण्डों पर भूतल एवं दो मंजिल (12 मीटर ऊँचाई) तक और बीना उड्डयन विभाग/भारतीय वायुसेना का अनापत्ति प्रमाण पत्र के निर्माण की स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय की सूचना भारतीय वायुसेना के जोधपुर स्टेशन व गांधीनगर कार्यालय को दी जावे। भारतीय वायुसेना के जोधपुर स्टेशन/गांधीनगर कार्यालय द्वारा इस बाबत 15 दिवस में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में जोविप्रा स्तर से उपरोक्तानुसार भवन अनुमोति जारी की जा सकेगी।
--	--	---

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

उप नगर नियोजक (द्वितीय)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बी.पी.)

जोधपुर विकास प्राधिकरण,

जोधपुर

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(बी.पी.)/का.वि./2021/1563-1567

दिनांक:-

08/12/2024

प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (अभियांत्रिकी/आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (पूर्व/पश्चिम), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. एसीपी/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।

उप नगर नियोजक (द्वितीय)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बी.पी.)

जोधपुर विकास प्राधिकरण,

जोधपुर